लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में आराघर चौक से रिस्पना पुल तक मार्ग में एज से एज तक चौडीकरण नाली एवं फुटपाथ निर्माण के आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03 नवम्बर, 2020 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2020 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्री आर0 के0 सुधाशु, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मेजर योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री देवेन्द्र पालीवाल, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री ललित मोहन, तकनीकी सलाहकार, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री हरि ओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री के0पी0 उप्रेती, मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, उत्तराखण्ड।
8. श्री विपुल सैनी, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

1. **योजना की आवश्यकता एवं औचित्य** :– रिट याचिका संख्या–47/2013 मनमोहन लखेडा बनाम उत्तराखण्ड सरकार में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2018 के अनुपालन में मार्ग से अतिक्रमण हटाये जाने के पश्चात् उपलब्ध भूमि का अधिक से अधिक जनउपयोग हेतु मार्ग को एज से एज तक चौडीकरण एवं जल निकास हेतु दोनों ओर आर0सी0सी0 ड्रेन का निर्माण एवं दोनों ओर Interlocking Tiles के साथ फुटपाथ का निर्माण कार्य यातायात के सुगम आवागमन हेतु आवश्यक है।

   मार्ग के उक्त भाग में चौड़ीकरण हो जाने से देहरादून शहर में हरिद्वार रोड पर आराघर से रिस्पना पुल के बीच निरन्तर होने वाले यातायात की जाम की समस्या कम हो सकेगी तथा मार्ग के किनारे स्थान–स्थान पर रेड़ी, ठेली तथा अन्य दुकानदारों द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले अतिक्रमण से भी राहत मिलेगी।

2. **परियोजना का प्रस्ताव** :– योजना आगणन में मुख्यतः निम्न निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये है :–
   1. सडक सतह पर भार वाहक यू0 टाईप आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।
   2. मार्ग के दोनों ओर फुटपाथ निर्माण का कार्य।
   3. फुटपाथ पर 60 एम0एम0 मोटी सी0सी0 इण्टर लोकिंग टाईल लगाने का कार्य।
   4. आर0सी0सी0 हयूम पाईप 1200 एम0एम0 व्यास से Cross ड्रेनेज का कार्य आराघर से रिस्पना पुल तक।
   5. अतिक्रमण हटने के पश्चात् मार्ग की उपलब्ध अतिरिक्त चौडाई में सडक निर्माण का कार्य।
   6. मार्ग चौडीकरण भाग में (क) जी0एस0बी0–18 सेमी0 (ख) डब्लू0एम0एम0–25 सेमी0 मोटी (दो परतों में), (ग) डी0बी0एम0–5 सेमी0।
   7. मार्ग की सम्पूर्ण चौडाई में 3 सेमी0 मोटी बी0सी0 की परत से सतह सुधार का कार्य।
   8. के0सी0 ड्रेन का निर्माण।
   9. साइनेज एवं थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग का कार्य।
   10. मार्ग के 4 लेन चौडीकरण भाग में 60 सेमी0 मेडियन का निर्माण कार्य।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

3. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमतः–**

3.1 कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य के दृष्टिगत विभागीय समिति की बैठक दिनांक 19.02.2020 को सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें मार्ग के दोनों ओर समुचित जल निकास के लिए आर0आर0सी0 हयूम पाईप एवं चैम्बर के माध्यम से ड्रेनेज तथा आर0सी0सी0 यू0 टाईप ड्रेन के दो विकल्पों में से मितव्ययता एवं तकनीकी दृष्टि से औचित्यपूर्ण आर0सी0सी0 यू0 टाईप ड्रेन के साथ मार्ग चौडीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

3.2 आगणन में दरें एस0ओ0आर0 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून के रायुपर ब्लॉक के लिए मार्ग कार्य हेतु दिनांक 01.05.2019 से लागू दर अनुसची के आधार पर ली गयी है।

3.3 मार्ग चौडीकरण कार्य में दोनों ओर आर0सी0सी0 ड्रेन के साथ पेयजल लाइन एवं टेलीफोन लाईन/भूमिगत विद्युत लाइन हेतु Utility Duck निर्माण के समय सम्बन्धित विभागों से उनकी आवश्यकतानुसार समन्वय करते हुए निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाना उचित होगा।

3.4 आगणन में 9664.22 घन मीटर खुदान से प्राप्त मिट्टी को कार्य स्थल से 05 कि0मी0 दूर रिंग रोड मार्ग संख्या–11 6 नम्बर, पुलिया के पास लोक निर्माण विभाग के भूखण्ड में डम्प किया जाना प्रस्तावित है, उक्त सामग्री की खुली निलामी के माध्यम से निस्तारण किया जाना उचित होगा ताकि भविष्य में स्थानीय निर्माण कार्यो में इस्तेमाल के लिए मिट्टी की चोरी से शासकीय सम्पत्ति की हानि की आशंका न रहे तथा सरकार को राजस्व भी मिल सकें।

3.5 योजना लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Description of Item	राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षित लागत		
		SOR	DSR	NSI
1	मार्ग में एज से एज चौडीकरण, नाली एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य	548.14		
	निर्माण कार्य की कुल लागत			
3	आकस्मिक व्यय निर्माण लागत का 3 प्रतिशत	16.44		
4	गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु निर्माण लागत का 1 प्रतिशत	5.48		
5	जी0एस0टी0 निर्माण लागत का 12 प्रतिशत	65.78		
	योग	**635.84**	-	-
		S.I.		**NSI**
	यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन द्वारा प्रेषित आगणन की लागत			149.73

क्रमशः पृष्ठ–3/–

	यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा प्रेषित आगणन की लागत	156.78	24.90
	भूमिगत जल संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड जल निगम द्वारा 10 रिर्चाज बोर की निर्माण लागत	0.39	10.50
	योग	**793.01**	**185.13**
	Say in lakh	**978.14**	

परियोजना की कुल लागत :– रू0 978.14 लाख

3.6 योजना के परीक्षण में राज्य योजना आयोग स्तर पर रू0 8.44 लाख की कटौती प्रस्तावित की गयी है।

3.7 योजना राज्य सेक्टर से वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है, अतः राज्य सेक्टर में सम्मिलित किये जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर उक्त योजना को भी सम्मिलित कर लिया जाय।

4. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को उपरोक्त **प्रस्तर–3.5 (Summary of Cost) में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 978.14 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

4.1 आगणन में 9664.22 घन मीटर खुदान से प्राप्त मिट्टी को कार्य स्थल से 05 कि0मी0 दूर रिंग रोड मार्ग संख्या–11, 6 नम्बर, पुलिया के पास लोक निर्माण विभाग के भूखण्ड में डम्प किया जाना प्रस्तावित किया गया है, समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि खुदान से प्राप्त उक्त मिट्टी की खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारण किया जाय, ताकि सामग्री की ढुलान की धनराशि की बचत होगी तथा सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।

4.2 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4.3 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

4.4 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का समय–समय पर एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

4.5 Embankment के कार्य में समुचित Compaction सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा प्रत्येक लेयर की Density मानक गुणवत्ता की प्राप्त होने के बाद ही उसके ऊपर दूसरी लेयर का कार्य प्रारम्भ कराये जाय।

4.6 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यो की ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

4.7 आगणन में लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य

क्रमशः पृष्ठ–4/–

होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

4.8 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के निर्णय के क्रम में उपरोक्त क्रमांक 4.1—4.8 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंव विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेगें, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सकें।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1244/623/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/लो0नि0वि0/2020
देहरादूनः दिनांकः 17, नवम्बर, 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव